प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट परिशिष्ट-1

[21/2/2019]

प्रश्न सं. [क्र. 48]

कार्यालय उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास,जिला–खण्डवा (म0प्र0)

क्रमांक/उर्वरक/2018–19/ 931 खण्डवा, दिनांक 5 FEB 2019

प्रति,

संचालक,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म.प्र. भोपाल

विषय :– विधानसभा प्रश्न क्रं. 48 तारांकित का उत्तर भेजने बाबत्।
संदर्भ :– आपका पत्र क्रं./पी.पी./5/2019/वि.स./48/80 दिनांक 01.02.2019

––––000––––

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 48 तारांकित की जानकारी निम्नानुसार प्रेषित है :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	दिनांक 11 दिसम्बर से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश के कितने किसानो ने आत्महत्याएं की है?	अवधि में 01 किसान के द्वारा आत्महत्या की गई।
(ख)	क्या खण्डवा और शाजापुर जिले में दो किसानो ने कर्ज माफी न होने के कारण आत्महत्याएं की है? यदि हां तो उन किसानो को आत्महत्या हेतु प्रेरित करने का मामला किस पर दर्ज होगा? यदि नही तो कारण दें।	पुलिस अधीक्षक जिला खण्डवा द्वारा दी गई जानकारी जो संलग्न है के अनुसार मृतक जवानसिंह की पत्नि मेंदाबाई भिलाला उम्र 42 साल निवासी अस्तरिया व पुत्र दयाराम पिता जवानसिंह भिलाला उम्र 21 साल निवासी अस्तरिया के कथन लेख किये जिनके द्वारा कथनो में बताया कि 02 माह पूर्व उनकी लड़की सोना उम्र 18 साल की अजय पिता राजाराम निवासी ग्राम पानवाड़ा थाना सनावद के यहॉं भागकर चली गई जिसका समाज में रिति रिवाज से रूपये पैसो को लेने देन कर 140000 रूपये लेकर आपसी राजीनामा कर लिया बाद में खेत में बोरिंग करवाई थी जिसमें पानी नही निकला। मृतक जवानसिंह शराब पीने का आदि था आये दिन शराब पीता था तथा मृतक द्वारा उक्त रूपयो की मांग अपनी पत्नि मेंदाबाई से बार–बार करने के कारण मेंदाबाई द्वारा उक्त रकम अपने भाई को सुरक्षित रखने हेतु दे दी थी तथा इसी कारण मृतक का अपनी पत्नि व बच्चो के साथ कहा सुनी हुई थी जिस कारण गुस्से में मृतक ने स्वंय फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मर्ग जांच में मृतक द्वारा कर्ज परेशान होकर आत्महत्या करने संबंधी कोई भी तथ्य नही आये है।

संलग्न :– पुलिस अधीक्षक खण्डवा का पत्र जो
सहायक पुलिस महानिरीक्षक (जे.) अ.अ.वि.मुख्यालय भोपाल को भेजा गया
पत्र क्रं. /पु.अ./खण्डवा/ओ.एम./13–ए/2019 दिनांक 04.02.2019

ADA (PP)

उप संचालक,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
जिला–खण्डवा.

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

परिशिष्ट-2

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला–शाजापुर (म.प्र.)
दूरभाष क्रमांक 226432 फैक्स 227100

क्रमांक / पु.अ. / शाजा / ओ.एम / 540 / 18ए / 2019 दिनांक 12.2.2019

प्रति,

उप संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
जिला शाजापुर

विषय :– विधान सभा प्रश्न क्रमांक 48 माननीय विधायक श्री विश्वास सारंग

संदर्भः– पत्र क्रमांक / अअवि / विधान सभा 2018–19 / 242 दिनांक 9.2.2019

कृपया उपरोक्त विषयांकित एवं संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 48 के सबंध दिनांक 11.12.18 से 22.1.2019 तक की अवधि में किसानो द्वारा आत्म हत्या की जानकारी चाही गई है। बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है :–

(क) 11 दिसम्बर से 22.1.19 तक जिले में **एक किसान** द्वारा आत्म हत्या की है।

(ख) उपरोक्त अवधि में जिले के थाना कालापीपल अन्तर्गत किसान प्रेमनारायण रघुवंशी पिता बालाप्रसाद उम्र 65 साल निवासी सुकलिया ने आत्म हत्या की है। जिस पर थाना कालापीपल में मर्ग क्रमांक 64/18 दिनांक 25.12.18 को कायम किया गया है। जिसकी जॉच थाना प्रभारी कालापीपल द्वारा की जा रही है, जिन्हे अभी तक जॉच में पाया गया कि " मृतक द्वारा दिनांक 20.12.18 को अपने घर पर जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिसे अचैतन्य अवस्था में परिजन उपचार हेतु तृप्ति अस्पताल भोपाल ले गये थे।जिसकी दिनांक 24.12.18 को मृत्यु हो गई थी [मृतक दिनांक 20.12.18 से ही मृत्यु समय तक अचैतन्य अवस्था में रहा, इस कारण से उसके मरणासन कथन नही हो सके। इसके अतिरिक्त मृतक द्वारा कोई सुसाईड नोट नहीं छोडा गया। संपूर्ण घटना के संदर्भ में नायब तहसीलदार कालापीपल द्वारा भी पृथक से जॉच की गई है। जिसमें नायब तहसीलदार द्वारा मृतक की मृत्यु का कारण उसकी के गांव के पृथ्वीसिंह रघुवंशी द्वारा मृतक की पत्नि से छेडछाड व मृतक के साथ गाली गलोच करना पाया है। पुलिस द्वारा की गई मर्ग जॉच के दौरान जो तथ्य आए है। उसमें पाया गया कि मृतक द्वारा सोसायटी व बैंक से करीब 1 लाख 75000 रूपये का कर्ज लिया गया जिसमें सोसायटी द्वारा दिये गये कर्ज को वापसी करने की अंतिम तारीख 15 मार्च 2019 थी। बेंक व सोसायटी द्वारा किसी भी प्रकार से कर्ज वापसी बाबत कोई नोटिस या अन्य प्रकार से कोई भी संपर्क मृतक से नही किया गया। " वर्तमान में प्रकरण में जॉच जारी है जांच उपरान्त ही निष्कर्ष निकालकर विधिसंवत कार्यवाही की जावेगी।]

(ग) इस विभाग से संबंधित नही है।

पुलिस अधीक्षक
जिला शाजापुर

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

A.D.A. (PP)